संख्या-21/2024/I/ 528505/2024/006-71-4002-099-8-2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान,
नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनॉक 26 मार्च, 2024**

विषय:- बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिकसंस्थान,नोएडा में वित्तीय वर्ष 2023-2024 केगैर-वेतन मद की छठवीं किश्त (अंतिम किश्त) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्तविषयक वित्त अधिकारी, बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिकसंस्थान,नोएडा के पत्र संख्या-एस.एस.पी.एच.एण्डपी.जी.टी.आई/वित्त/2023-24/485, दिनांक-14.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहणकरने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदानसंख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105-एलोपैथी 03-शिक्षा 0370 सुपरस्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान,नोएडाकी स्थापना के मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध कियागया है।

इस संबंध में मुझे यहकहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 केअधीन लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05-चिकित्साशिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105-एलोपैथी 03-शिक्षा 0370-सुपरस्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान,नोएडाकी स्थापना के मानक मद 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) केअन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपए 40,00,00,000/- (चालीस करोड़ मात्र) केसापेक्ष छठवी**किश्त** (अंतिम किश्त) के रूप में रूपये **7,50,00,000/- (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपालसहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करतेहैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायाजायेगा इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहींहोगा।
4. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरितकिया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
5. उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञापसंख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखितदिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तो/प्रतिबंधों का

अनुपालन सुनिश्चितकिया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान के प्रमुख एवं वित्तनियंत्रक का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,50,00,000 (रुपये सातकरोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे**अनुदान संख्या**031 **लेखा शीर्षक**2210051050370 सुपर स्पेशिलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोयडा की स्थापना**मानक मद**20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)के नामे डाला जायेगा।

3- यहआदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3- 520 -X-2023-24, दिनांक-26 मार्च, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या एवं तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
6. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा सें,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।